HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9298/2025

Mohit S/o Hariballabh @ Ballaram, Aged About 29 Years, R/o Mahaswa, PS Balghat, District Karouli (Raj.)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Narendra Prasad Meena, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता (482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना नादौती, गंगापुर सिटी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 77/2024 अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 365, 382 भारतीय दण्ड संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, घटना की रिपोर्ट में उसका नाम नही है, वह अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार व तत्पर है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम अंकित नही है। थानाधिकारी, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.01.2026 में प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी किया जाना शेष नही होना बताया है। आहत दिनेश ने अपने धारा 161 दं.प्र.सं. के बयानों में भी आपराधिक कृत्य किये जाने में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नही बताया है। आहत दिनेश से प्रार्थी/अभियुक्त की कोई कार्यवाही शिनाख्तगी नही हुई है। सहअभियुक्त मान सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7635/2024 आदेश दिनांक 22.07.2024 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मोहित पुत्र हरिबल्लभ उर्फ बल्लाराम** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर

तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।

2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /96